प्र.सं. 6/2023 वजेंगिया बनाम राजेंग व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.02.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी की ग्राम झरकनिया, तहसील घाटोल में आराजी नंबर 746, 748, 749, 754 से 765, 792, 1926/769 कुल किता 17 रकबा 1.95 हैक्टर भूमि स्थित है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की वंशावली वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर गोतिया जी होकर उनके 5 पुत्र वादी वजेगिया, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 राजेंग, रूपा व तोलिया तथा प्रतिवादी 4 व 5 के पिता नाकुडा हुए। विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से विवाद होता है अतः पक्षकारों मध्य विवादित भूमि का विभाजन किया जाकर वादी का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्से अनुसार अलग–अलग खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के पिता ने दो शादियां की तथा दोनों पत्नियों की संतानों के बीच 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार विभाजन हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने हिस्से की भूमि पर बंटवारे अनुसार काबिज हैं। वादी ने पूर्व में भी वाद प्रस्तुत किया था, जो खारिज हो चुका है। वादी बार–बार प्रतिवादीगणों को परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत करता है, जो खारिज किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 19.01.2023 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 28.04.2023 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से अभिभाषक श्री सतीश कुमार जैन उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को जानकारी होने पर दिनांक 28.03.2023 को नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा नकल दिनांक 31.03.2023 को [illegible] ही अपील प्रस्तुत कर दी। जानबूझकर [illegible] द कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर [illegible] एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:23 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)

मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वाद कारण उत्पन्न होने से वाद दायर किया गया ऐसी स्थिति में पूर्व के निर्णय मेरिट पर नहीं होने से रेसज्यूडीकेटा का सिद्धान्त लागू नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियां कायम करने के बावजूद तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय को साक्ष्यों के आधार पर पक्षकारों की बहस सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करना चाहिए था। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त फरमायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त बहस का खण्डन करते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो यह पाया कि राजस्व रेकार्ड अनुसार विवादित आराजियात पक्षकारों की सहखातेदारी में दर्ज होकर गोतिया के पॉचों पुत्रों का 1/5, 1/5 हिस्सा दर्ज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.11.2022 को 4 तनकियां कायम की गयी, किन्तु तनकीवार विवेचन नहीं कर अपीलान्ट का वाद मात्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि "प्रतिवादीगणों ने अपने जवाबदावे के साथ पूर्व में दायर वाद की प्रतिलिपि पेश की जो कि खारिज किया जा चुका है। अतः न्यायिक कार्य में अकारण वृद्धि एवं समय व्यय को देखते हुए तथा वादी के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने की स्थिति में वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।" अधिनस्थ न्यायालय का उक्त विवेचन विधि सम्मत नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय को पक्षकारों की साक्ष्य लेकर तनकीवार विवेचन करना चाहिए था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 39/2021 निर्णय दिनांक 19.01.2023 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर एवं सुनकर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 22.04.2024 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:31:23 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर सत्यमेव जयते